वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 14.07.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,हिंदुस्तान,अमर उजाला,आज,न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 14.07.2026

वीडीए की सील दो बार तोड़ी, तीसरी बार फिर जड़ा ताला

जासं, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की कार्रवाई को चुनौती देना पिनाकी रिजार्ट के संचालकों को भारी पड़ गया। दो बार सरकारी सील तोड़कर होटल, रिजार्ट, रेस्टोरेंट और लान का संचालन दोबारा शुरू करने के बाद सोमवार को प्राधिकरण ने तीसरी बार परिसर को सील कर दिया। इस बार केवल सीलिंग तक कार्रवाई सीमित नहीं रही, बल्कि संचालकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 14.07.2026

ऐढ़े में होटल और रिजॉर्ट होगा ध्वस्त

वीडीए की सख्ती

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। वीडीए प्रशासन ऐढ़े में अवैध रूप से संचालित होटल एवं रिजॉर्ट पिनाकी ध्वस्त कराएगा। उसने सोमवार को तीसरी बार उसे सील कर पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। होटल-रिज़ॉर्ट के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया।

वीडीए प्रशासन ने मामले में अमरावती पांडेय, पदुम पांडेय, राजन पांडेय, हिमांशु पांडेय और रोहित सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि ऐढ़े में उन्होंने लगभग छह हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में नक्शा पास कराए बिना होटल-रिजार्ट का निर्माण कराया। होटल में 16 कमरे बनाए गए हैं। बता दें कि वीडीए ने 22 जून, 2026 को पहली बार होटल परिसर सील किया था। उसे स्थानीय पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया था। इसके बावजूद उसका संचालन जारी रहा। इस बीच, 11 जुलाई को वह दूसरी बार सील किया गया। आरोप है कि सील तोड़कर संचालन जारी रहने की सूचना पर सोमवार को वीडीए प्रशासन ने उसे तीसरी बार सील करने की कार्रवाई की। जोनल अधिकारी जेपी गुप्त मौजूद रहे।

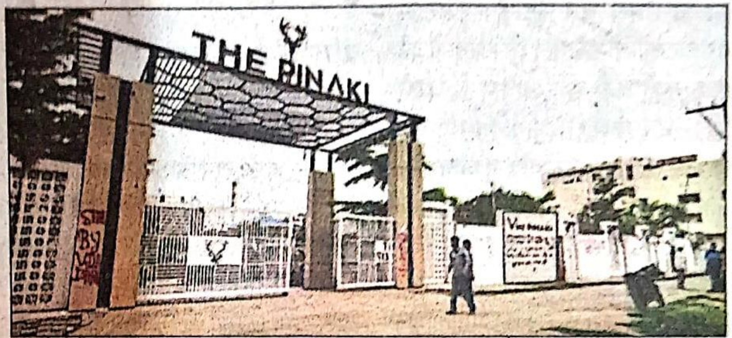

ऐढ़े में सोमवार को वीडीए प्रशासन ने होटल और रिजार्ट पिनाकी को सील किया।

अमर उजाला –दि0 14.07.2026

पिनाकी रिजॉर्ट तीसरी बार हुआ सील, ध्वस्त करने के आदेश

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की ओर से अनधिकृत निर्माण और बिना मानचित्र स्वीकृति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत पिनाकी रिजॉर्ट/होटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। परिसर को तीसरी बार सील किया गया। संचालनकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। साथ ही अनधिकृत निर्माण के संबंध में ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित किया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के अनुसार अमरावती पांडेय, पदुम पांडेय, राजन पांडेय, हिमांशु पांडेय और रोहित सिंह की ओर से ऐढ़े, शिवपुर में 6000 वर्गमीटर भूमि पर जी+1 भवन का निर्माण कराया गया। यहां बिना मानचित्र स्वीकृति के रिजॉर्ट, होटल (16 कमरों सहित), रेस्टोरेंट और लॉन का व्यावसायिक संचालन किया जा रहा था।

वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने डीसीपी वरुणा जोन को पत्र भेजकर प्राधिकरण की शासकीय सील तोड़कर दोबारा अवैध संचालन करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक और वैधानिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

आज –दि0 14.07.2026

चोलापुर में बीडीए का अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

चोलापुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बीडीए ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। रौनाखुर्द गांव में लगभग आठ बीघा क्षेत्र में बिना अनुमति काटी गयी कॉलोनी की बाउंड्री को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के कुछ कॉलोनाइजर किसानों से जमीन लेकर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अवैध रूप से बेचने का काम कर रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर बीडीए द्वारा पहले नोटिस चस्पा कर अवैध निर्माण रोकने के निर्देश दिए गये थे। नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर बीडीए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। सोमवार को अपराह्न लगभग दो बजे बीडीए के प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध कॉलोनी की बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से गिरा दिया। काररवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। बीडीए अधिकारियों ने बताया कि बिना नक्शा पास कराये और बिना अनुमति के कृषि भूमि को आवासीय प्लाट में बदलकर बेचना अवैध है। भविष्य में भी इस तरह की अवैध प्लाटिंग पर कड़ी काररवाई की जायेगी। स्थानीय लोगों ने बीडीए की इस काररवाई का स्वागत किया है। बीडीए ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की जमीन खरीदने से पहले उसके कागजात और बीडीए से अनुमति अवश्य जांच लें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 14.07.2026

दो बार सील तोड़कर पुनः संचालित किए जा रहे पिनाकी रिजॉर्ट/होटल पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की तीसरी बड़ी कार्रवाई

वाराणसी। विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण एवं बिना मानचित्र स्वीकृति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत पिनाकी रिजॉर्ट/होटल के विरुद्ध पुनः कठोर कार्रवाई करते हुए परिसर को पुनः सील किया गया, संचलनकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई तथा अनाधिकृत निर्माण के संबंध में ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किया गया।उल्लेखनीय है कि श्रीमती अमरावती पाण्डेय, पत्नी स्व0 जनार्दन पाण्डेय, श्री पदुम पाण्डेय व राजन पाण्डेय पुत्र स्व0 जनार्दन पाण्डेय, हिमांशु पाण्डेय पुत्र श्री पदुम पाण्डेय व रोहित सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह द्वारा आराजी संख्या-763, मौजा-ऐढ़े, परगना-शिवपुर, जनपद वाराणसी स्थित लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर जी+1 तल का निर्माण कर बिना मानचित्र स्वीकृति के रिजॉर्ट, होटल (16 कमरों सहित), रेस्टोरेंट एवं लॉन का व्यावसायिक संचालन किया जा रहा था।जांच में यह पाया गया कि उक्त निर्माण पूर्णतः अनाधिकृत है। अतः संपूर्ण निर्माण एवं उसमें संचालित सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूर्णतः अवैध

हैं तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं।प्राधिकरण द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए गए थे। आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण न किए जाने तथा अनाधिकृत संचालन जारी रखने के कारण दिनांक 22 जून, 2026 को वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा परिसर को प्रथम बार सील कर स्थानीय पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया था।इसके उपरांत संबंधित पक्ष द्वारा प्राधिकरण की सील तोड़कर पुनः होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट एवं लॉन का संचालन प्रारंभ कर दिया गया। इस पर प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2026 को पुनः कार्रवाई करते हुए परिसर को दूसरी बार सील किया गया। किंतु इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों द्वारा दूसरी बार भी प्राधिकरण की सील तोड़कर पुनः अवैध व्यावसायिक संचालन प्रारंभ कर दिया गया, जो गंभीर विधिक उल्लंघन, शासकीय आदेश की अवहेलना एवं शासकीय कार्य में बाधा की श्रेणी में आता है।उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोन-1 के जोनल अधिकारी जे0 पी 0 गुप्ता तथा प्रवर्तन टीम द्वारा तीसरी बार परिसर को पुनः सील किया गया। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई तथा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किया गया।इसी क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा द्वारा पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, वाराणसी को पत्र प्रेषित कर प्राधिकरण की शासकीय सील तोड़कर पुनः अवैध संचालन कराने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा व्यावसायिक संचालन पूर्णतः अवैध है। उनके विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। ऐसे प्रतिष्ठान नगर नियोजन मानकों का उल्लंघन करते हैं तथा यातायात अव्यवस्था, अनियंत्रित पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा संबंधी जोखिम एवं आम नागरिकों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।(वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन से अपील की गई है कि बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें तथा होटल, रिजॉर्ट, लॉन अथवा अन्य किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन बिना सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराए न करें।